दूरभाषः 23468300

फैक्सः 23702440

Directoriipa9@gmail.com

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,

नई दिल्ली

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2021

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2021 के लिए प्रविष्टियॉ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार राशि निम्नवत् हैः

प्रथम पुरस्कारः 10,000/– रुपये

द्वितीय पुरस्कारः 7,000/– रुपये

तृतीय पुरस्कारः 5,000/– रुपये

जिस प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता में एक बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह प्रतियोगी दुबारा उसी श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के किसी पुरस्कार का हकदार नहीं होगा। निबंधों के संयुक्त लेखन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा संयुक्त रूप से लेखकों द्वारा लिखित किसी भी निबंध पर प्रतियोगिता के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय हैं–

1. महामारी में सतत् अर्थव्यवस्थाः आत्मनिर्भर भारत
2. मिशन कर्मयोगी–लोक सेवा प्रदायगी के लिए क्षमता निर्माण
3. भारत सरकार की नई शिक्षा नीति

निबंध लेखकों से अपनी प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित हैः

विषय (1) : महामारी में सतत् अर्थव्यवस्थाः आत्मनिर्भर भारत

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद बिंदु शामिल किए जाना चाहिएः

महामारी कोराना वायरस 2020 से उत्पन्न आर्थिक संकट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (अंग्रेजी अर्थ– आत्मनिर्भर भारत अभियान) को जन्म दिया। जबकि यह विचार पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसकी कुछ विशेषताएं ब्रिटिश शासन के समय 7 अगस्त, 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के समान हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर होने या दुनिया के करीब होने के बारे में नहीं है, अपितु "कुशलता, इक्विटी और लचीलापन को बढ़ावा देने वाली नीतियों" का पालन करने के बारे में है। इस आत्मनिर्भर नीति का उद्देश्य प्रकृति में संरक्षणवादी होना नहीं है। 'आत्मनिर्भर भारत' के पांच स्तंभ–अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। आत्मनिर्भर भारत के मूल में न केवल अपने लिए बल्कि बड़ी मानवता के लिए धन और मूल्यों का निर्माण करना है। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही 21वीं सदी को भारत का बनाने का एकमात्र उपाय है।

मई 2020 में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा चार चरणों में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषण की गई थी। सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन राहत पैकेज की कीमत 20 लाख करोड़ रूपये बताई गई है। इसमें गरीबों के लिए पहले से घोषित 1.70 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज, पीएमजीकेवाई के रूप में, कोरोना वायरस महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए शामिल है। 20 लाख रूप्ये का यह आर्थिक पैकेज भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने और मजदूरों, किसानों, ईमानदार करदाताओं, एमएसएमई और कुटीर उद्योग को लाभन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मई 2020 में पहले की गई घोषणाओं पर ज़ोर देने के अलावा, केन्द्रीय बजट 2021–22 ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूचीबद्ध पहलुओं में रक्षा सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों की सुविधाओं का उन्नयन, शिपयार्ड का आधुनिकीकरण, स्थानीय रूप से निर्मित रक्षा वस्तुओं को लॉन्च करना और स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल है, जहां पीएसयू को रणनीतिक क्षेत्रों को मजबूती से परिसीमन करना जारी होगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा अनावरण की गई नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति ने सरकार की नई विनिवेश नीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की न्यूनतम सूची को बनाए रखने के उसके इरादे पर ध्यान केंद्रित किया है। इसे अगले तीन–चार वर्षों में लागू किया जायेगा और भारत में सार्वजनिक उपक्रमों में भारी कमी आएगी।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए, प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत अभियान के दायरे में शामिल करने की घोषणा की। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई के साथ एमएसएमई क्षेत्र सबसे जीवंत और गतिशील औद्योगिक क्षेत्र है जो भारतीय कार्यबल के लगभग 40 प्रतिशत को रोजगार देते हुए सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बजट 2021–22 में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक पुर्नरुद्धार के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा। लेखक आँकड़ों का उपयोग कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए नीचे उल्लेखित क्षेत्रों में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की आलोचनात्मक जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, लेखकों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उपायों का सुझाव देने की अपेक्षा की जाती है।

- एमएसएमई सहित स्थानीय व्यवसाय
- कृषि, किसान और प्रवासी
- रक्षा खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा
- रोजगार सृजन और जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग
- सरकारी सेवाओं को बदलने के लिए शासन सुधार
- तकनीकी और बुनियादी ढांचा विकास

विषय (2) : <u>मिशन कर्मयोगी–लोक सेवा प्रदायगी के लिए क्षमता निर्माण</u>

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद बिंदु शामिल किए जाना चाहिएः

भूमिका आधारित प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने अपने सिविल सेवकों के लिए 'मिशन कर्मयोगी' राष्ट्रीय कार्यक्रम सिविल सेवा क्षमता निर्माण (एनपीसीएससीबी) नामक एक नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण तंत्र को अपग्रेड करना है। इस उद्देश्य के लिए 2020–21 से 2024–25 तक 5 वर्षो की अवधि में 510.86 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को आईजीओटी–कर्मयोगी नामक एक डिज़िटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। आईजीओटी का उद्देश्य राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों की क्षमता संचालित क्षमता निर्माण और मानव संसाधन प्रबंधन और 'नियम–आधारित' प्रणाली से 'भूमिका–आधारित' प्रणाली में बदलाव को चिह्नित करना है। मिशन का उद्देश्य प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करना, साझा संकाय और संसाधनों का निर्माण करना और सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर पर्यवेक्षी भूमिका निभाना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उच्चतम गुणवत्ता मानकों के कुशल सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवकों की क्षमताओं में सुधार करना है।

आईजीओटी–कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अब राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के लॉन्च पैड के रूप में कार्य कर रहा है। मंच से ज्ञान सामग्री के लिए एक जीवंत और विश्वस्तरीय बाज़ार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जहां विभिन्न प्रशिक्षण/शैक्षिणिक संस्थनों द्वारा सावधनीपूर्वक डिज़ाइन और जांच की गई डिज़िटल ई–लर्निंग सामग्री सहायक सचिव से सचिव स्तर तक सभी सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीओपीटी के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे और अधिकारियों के पास अपने डोमेन क्षेत्रों के आधार पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होगा। इस आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर, राष्ट्रीय और

अंर्तराष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सभी प्रकार के पाठ्यक्रम अधिकारियों को उनकी नौकरी की आवश्यकता और करियर वृद्धि के अनुसार चुनने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। क्षमता निर्माण के अलावा, सरकार प्रशिक्षण को अधिकारी के सेवा मामलों जैसे परिवीक्षा अवधि के बाद सेवा की पुष्टि, तैनानी, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना आदि से जोड़ने की योजना बना रही है। इसे अंततः प्रस्तावित योग्यता ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

वर्तमान में कई केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान इंडक्शन और मिड करियर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हालांकि, उनके अधिकांश प्रशिक्षण मॉड्यूल ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है। अब आईजीओटी पहल के तहत, भारत सरकार ने ऑनलाइन, आमने सामने और मिश्रित तरीके से एक व्यापक और व्यवस्थित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की है। इसलिए, प्रशिक्षण मॉड्यूल की सफलता डिज़िटल प्रौद्योगिकियों, ऑनलाइन संचार और ई–लर्निंग के आधार पर प्रभावी प्रशिक्षण मॉड्यूल को डिज़ायन और वितरित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्त के संबंध में लेखक को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के बीच निरंतर, आजीवन, नौकरी पर सीखने के व्यवहार का कैसे उत्प्रेरित करेगें?
- मिशन कर्मयोगी किस हद तक नए भारत के विज़न के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने में सक्षम होगा।
- क्षमता निर्माण और एक साझा शिक्षण मंच के लिए एक गतिशील ऑनलाइन बाज़ार स्थान के रूप में आईजीओटी की भूमिका।
- आईजीओटी इनेबल्ड मार्केट प्लेस के लिए एक ऑनलाइन सामग्री के तकनीकी अपनाने, कार्यान्वयन और विकास के लिए रणनीतियाँ।
- आईजीओटी कर्मयोगी प्रशिक्षिण संस्थानों के विविध कार्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित करेगा?

- आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का अब तक का अनुभव कैसा रहा है?

विषय (3) : <u>भारत सरकार की नई शिक्षा नीति</u>

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद बिंदु शामिल किए जाना चाहिएः

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, और इस तरह भारत का एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर, भारत का एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। नीति में परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को छात्रों के बीच मौलिक कर्त्तव्यों और संवैघानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करनी चाहिए, अपने देश के साथ संबंध, और बदलती दुनिया में किसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक जागरूकता। नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मो में भी भारतीय होने के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और स्वभाव को विकसित करने के लिए एक गहरा गर्व पैदा करना है जो समर्थन करते हैं। मानवाधिकारों, सतत् विकास और रहन–सहन और वैश्विक भलाई के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक को दर्शाता है।

2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 (एसडीजी4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा–2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को

बढ़ावा देना" चाहता है। लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और सीखने को बढ़ावा देने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त किया जा सके।

दुनिया ज्ञान परिदृश्य में तेजी से बदलाव के दौर से गुज़र रही है। विभिन्न नाटकीय वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ, जैसे कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, दुनिया भर में कई अकुशल नौकरियों को मशीनों द्वारा लिया जा सकता है, जबकि एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है, विशेष रूप से गणित, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और मानविकी में बहु–विषयक क्षमताओं के संयोजन के साथ, अधिक से अधिक मांग में होगा। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों के साथ, हम दुनिया की ऊर्जा, पानी, भोजन और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप फिर से नए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान में, भौतिकी, कृषि, जलवायु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव के लिए संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु–विषयक सीखने की आवश्यकता को बढ़ा देंगे। मानविकी और कला की बढ़ती मांग होगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ–साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है (एनईपी, 2020)

निबंध लेखक किसी एक या अधिक क्षेत्रों पर ज़ोर दे सकते हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- एनईपी, 2020 में फायदे, लाभ और चुनौतियां।
- सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षाः चुनौतियां, अवसर और कार्य योजना।
- समग्र शिक्ष के लिए पाठ्यचर्या तैयार करनाः सक्षमकर्त्ताओं और बाधाओं की पहचान करना।
- शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिकाः शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए भविष्य के अवसर।
- व्यावसायिक शिक्षाः एनईपी 2020 के विशिष्ट संदर्भ में मामलों और अवसरों की स्थिति।
- उच्च शिक्षा का प्रभावी शासनः नियामकों की नई भूमिका।
- एनईपी 2020 को लागू करने के लिए अभिनव वित्त पोषण तंत्र।
- भाषा आधारित विविधता और भाषा की शक्तिः बहुभाषावाद नीति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव।
- एनईपी 2020 के लिए कार्यान्वयन रणनीतियाँः मुद्दे और आगे की रास्ता।

संदर्भः

NEP (2020),

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf,

निबंध के सामान्य दिशानिर्देश

निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। निबंध लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए। प्रतियोगी को निबंध में प्रयुक्त शब्दों की कुल संख्या बतानी होगी अन्यथा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5500 से अधिक शब्दों वाला निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निबंध पृष्ठ के केवल एक ही तरफ दोहरे स्थान के साथ साफ–साफ टाईप किया हुआ होना चाहिए। जिन प्रविष्टियों में इस निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं किया जायेगा उन्हें अस्वीकृत किया जा सकता है। कल्पित नाम के साथ निबंध की तीन प्रतियां जमा की जानी चाहिए। प्रतियोगी का पूरा असली नाम तथा पता एक अलग कागज़ पर दिया जाना चाहिए और यह कागज एक सीलबंद लिफाफे में रखा होना चाहिए जिस पर ऊपर कल्पित नाम के साथ ही निम्न शब्द अंकित होने चाहिए।

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2021, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सभी निबंध पंजीकृत डाक द्वारा निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110002 को भेजे जाने चाहिए। ये निबंध 15 सितम्बर, 2021 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2021" लिखा होना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्णायक गण इन निबंधों पर अपना निर्णय देंगे और इनके द्वारा दिया गया पुरस्कार अंतिम होगा। यदि प्राप्त निबंधों में से कोई भी आवश्यक मानक स्तर तक नहीं पहुंचता है तो

संस्थान को यह अधिकार है कि वह किसी को भी पुरस्कार न दे। पुरस्कृत निबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा लेखक की संयुक्त बौद्धिक संपत्ति होंगे।

कृपया ध्यान दें: अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110002 को लिख सकते हैं।